स्वामी केशवानन्द
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

दिनांक 22.08.2016 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 94वीं बैठक के कार्यवृत्त।
निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1.	**डॉ० बी०आर० छीपा,** कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	**श्री संजय कश्मीरी,** महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
3.	**डॉ० सी०बी० गेना,** पूर्व कुलपति एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात वैज्ञानिक	सदस्य
4.	**डॉ० एन० वी० पाटिल,** निदेशक (रा०ऊ०अ०के०) एवं भा०कृ०अ०प० द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
5.	**श्री सुमित गोदारा,** प्रगतिशील किसान राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
6.	**डॉ० एस०के० शर्मा,** अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर शिक्षा कार्यालय, बीकानेर	सदस्य
7.	**डॉ० (श्रीमती) विमला डुकवाल,** आचार्य, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	सदस्य
8.	**डॉ० यू०एस० शेखावत,** आचार्य, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर	सदस्य
9.	**श्री दशरथ प्रसाद** सहायक आचार्य, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर	सदस्य
10.	**डॉ० एन०के० पारीक,** सहायक आचार्य, कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	सदस्य
11.	**श्री अरविन्द सिंह शेखावत,** वित्त नियंत्रक	आमंत्रित सदस्य
12.	**डॉ० आई०जे० गुलाटी,** कुलसचिव	**सदस्य सचिव**

महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद् श्री हरीश रजानी, प्रमुख शासन सचिव (कृषि), आयुक्त कृषि, प्रमुख शासन सचिव (पशु पालन), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्ध मण्डल के पूर्व सदस्य डॉ० लोकेश कुमार शेखावत एवं श्री हनुमान राम ईसरान महामहिम कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्, डॉ० गोपाल कृष्ण जोशी, माननीय विधायक बीकानेर (पश्चित), डॉ० पी०एस० राठौड़, निदेशक प्रसार शिक्षा, डॉ० एस०एल०

गोदारा, आचार्य एवं क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान, डॉ० वी०के० गौड़, निदेशक छात्र कल्याण, डॉ० दीपक चतुर्वेदी, सहायक आचार्य, डॉ० सी०पी० राजपुरोहित, उप पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं सेवाओं की सराहना के साथ ही नये मनोनीत सदस्य श्री हरीश रजानी एवं श्री संजय कश्मीरी, महामहिम कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्, डॉ० सी०बी० गेना, श्री सुमित गोदारा, डॉ० (श्रीमती) विमला डूकवाल को पुन: मनोनीत होने पर तथा डॉ० एस०के० शर्मा, आचार्य एवं अधिष्ठाता स्नातकोत्तर शिक्षा, डॉ० यू०एस० शेखावत, आचार्य, श्री दशरथ प्रसाद, सहायक आचार्य एवम् डॉ० एन०के० पारीक, सहायक आचार्य व बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया।

डॉ० सी०बी० गेना, पूर्व कुलपति एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात वैज्ञानिक द्वारा प्रबन्ध मण्डल की बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार वर्ष में चार बैठक आयोजित किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की सहमति प्रदान की गई।

बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त निम्न निर्णय पारित किये गये।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1278	**92वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 09.09.2015 एवम् 93 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 02.02.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित किया गया कि 92वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 09.09.2015 एवम् 93 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 02.02.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1279	**92वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 09.09.2015 एवम् 93 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 02.02.2016 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही ।** यह पारित किया गया कि 92वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 09.09.2015 एवम् 93 वीं विशेष प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 02.02.2016 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1280	**47 वीं विद्या परिषद् बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत्।** यह पारित किया गया कि 47 वीं विद्या परिषद् बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्यवाही विवरण की निम्न के साथ पुष्टि की जाती है। 1. **SKRAU/AC-47/2016-1/206(6)** यह पारित किया गया कि अधिसंख्य सीटें (Supernumerary Seats) में 20 छात्रों के प्रवेश में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के संबंध में अंको का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फॉरमूला के आधार पर गणना करते हुए अन्य कृषि विश्वविद्यालय में लागू की गई उक्त व्यवस्था का अध्ययन कर प्रवेश दिये जाए।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1281	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश की पुष्टि की जाती है।

स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1282	**विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल बैठक दिनांक 09.09.2015 के मद संख्या "स्वाकेराकृवि/बोम-92/2015-2/1268" में प्रस्तुत प्रकरण "नव नियुक्त सहायक आचार्यो को 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् पी०एच०डी० करने तथा अध्ययन अवकाश देने के लिए आज्ञा देने बाबत्" में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक एफ० /एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप- I/2016/897 दिनांक 02.12.2015 द्वारा गठित समिति द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 14.03.2016 के कार्यवाही विवरण विचारार्थ।** यह पारित किया गया कि सहायक आचार्यो को अध्ययन अवकाश के पश्चात् जरूरी विश्वविद्यालय सेवा नही करने पर अध्ययन अवकाश की अवधि एवं बंध पत्र समयवाधि के समस्त परिलाभ वसूल किए जाने की शर्ते के साथ अनुमोदन किया जाता है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1283	**विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालयों में फीस का निर्धारण महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के समान्तर करने बाबत्।** यह पारित किया गया कि इस सन्दर्भ में गठित समिति द्वारा प्रेषित अनुशंषा को लागू करने की सहमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1284	**सहायक आचार्य पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने बाबत्।** यह पारित किया गया कि सहायक आचार्य पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने की सहमती प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1285	**पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 22.02.2016 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 12.02.2016 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में श्री ओमप्रकाश माली, रिसर्च फैलो, चारा प्रबन्धन केन्द्र को एक्स केड़र पद पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में।** यह पारित किया गया कि पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 22.02.2016 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 12.02.2016 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में श्री ओमप्रकाश माली, रिसर्च फैलो को एक्स केड़र पद पर नियुक्ति प्रदान करने की विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1286	**पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 22.02.2016 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 12.02.2016 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में श्री राधा कृष्ण यादव, स्थिर वेतनभोगी कल्र्क ग्रेड़-द्वितीय की सेवाओं का नियमितिकरण करने के संबंध में।** यह पारित किया गया कि पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 22.02.2016 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 12.02.2016 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में श्री राधा कृष्ण यादव, स्थिर वेतनभोगी कल्र्क ग्रेड़-द्वितीय की सेवाओं का उनके कार्य गृहण की तिथि के पाँच वर्ष पश्चात् से काल्पनिक वेतन स्थिरिकरण का लाभ प्रदान कर किसी भी प्रकार के बकाया का दावा नही करने का बन्ध पत्र भरवाकर लेने की शर्त के साथ नियमितिकरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1287	**पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 22.02.2016 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 12.02.2016 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में सुश्री सरला गुलबानी, स्थिर वेतनभोगी तकनीकी सहायक की सेवाओं का नियमितिकरण करने के संबंध में।** यह पारित किया गया कि पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 22.02.2016 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 12.02.2016 में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में सुश्री सरला गुलबानी, स्थिर वेतनभोगी तकनीकी सहायक की सेवाओं का उनके कार्य गृहण की तिथि के पाँच वर्ष पश्चात् से काल्पनिक वेतन स्थिरिकरण का लाभ प्रदान कर किसी भी प्रकार के बकाया का दावा नही करने का बन्ध पत्र भरवाकर लेने की शर्त के साथ नियमितिकरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1288	**निदेशक अनुसंधान एवं पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1216 दिनांक 21.07.2015 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 17.08.2015 के कार्यवृत्त में वर्णित बिन्दु संख्या 2 श्री नेपाल सिंह व श्री मोहन पी०वी०, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को याचिका दायर करने की दिनांक 15.07.1992 से नियमित नियुक्ति मानते हुए परिलाभ देने बाबत्।** यह पारित किया गया कि निदेशक अनुसंधान एवं पदेन अध्यक्ष परिवेदना निवारण समिति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक 1216 दिनांक 21.07.2015 के साथ परिवेदना निवारण समिति की बैठक दिनांक 17.08.2015 के कार्यवृत्त में वर्णित बिन्दु संख्या 2 श्री नेपाल सिंह व श्री मोहन पी०वी०, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को याचिका दायर करने की दिनांक 15.07.1992 से नियमित नियुक्ति मानते हुए काल्पनिक लाभ प्रदान करने एवं न्यायालय लम्बित वाद को वापस लेने की शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1289	**नवसृजित तीन कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्वीकृत विषय विशेषज्ञों के पदों का विषय निर्धारण बाबत्।** यह पारित किया गया कि नवसृजित तीन कृषि विज्ञान केन्द्रों में स्वीकृत विषय विशेषज्ञों के पदों का विषय निर्धारण इस संबंध में गठित समिति की अनुशंषानुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा लूनकरनसर क्षेत्र में पशुपालन के महत्व को देखते हुए लूनकरनसर कृषि विज्ञान केन्द्र पर पशुपालन का विषय विशेषज्ञ/कार्यक्रम समन्वयक उपलब्ध कराने की अनुशंषा की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1290	**विज्ञापन संख्या 1/2012 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक आचार्य (उद्यानिकी) के पद की प्रतिक्षा सूची खोलने बाबत्।** यह पारित किया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2012 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक आचार्य (उद्यानिकी) के पद की प्रतिक्षा सूची खोलने की कार्यवाही राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर की जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1291	**निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ० /लेखा/डीईई/एसकेराकृवि/2016/2298 दिनांक 06.02.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनस्थ कृषि विज्ञान केन्द्रों के उद्देश्य व कार्यो को पुरा करने हेतु दिये गये सुझाव विचारार्थ।** यह पारित किया जाता है कि निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ० /लेखा/डीईई/एसकेराकृवि/2016/2298 दिनांक 06.02.2016 के द्वारा दिये गये सुझावों पर असहमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1292	**छात्र कल्याण निदेशालय में 100% केन्द्रीय छात्र संघ शुल्क स्थानांतरित करने के संबंध में।** यह पारित किया जाता है कि छात्र कल्याण निदेशालय में 100% केन्द्रीय छात्र संघ शुल्क स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1293	**विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प० 651/स्वाकेराकृवि/ स्था०/ग्रुप-2/2016/3240 दिनांक 27.03.2016 द्वारा श्री राम गोपाल शर्मा, प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का नियमितिकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.07.2013 एवं 03.12.2013 की पालना में जारी आदेश क्रमांक प० 651/स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-2/2014/1382 दिनांक 25.08.2014 की समीक्षा हेतु गठित समिति की अनुशंषानुसार श्री शर्मा की सेवाएं प्रथम नियुक्ति दिनांक 07.04.1981 से नियमित करने के संबंध में।** यह पारित किया जाता है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प० 651/स्वाकेराकृवि/ स्था०/ग्रुप-2/2016/3240 दिनांक 27.03.2016 द्वारा श्री राम गोपाल शर्मा, प्रयोगशाला सहायक की सेवाओं का नियमितिकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 03.07.2013 एवं 03.12.2013 की पालना में जारी आदेश क्रमांक प० 651/स्वाकेराकृवि/स्था०/ग्रुप-2/2014/1382 दिनांक 25.08.2014 की समीक्षा हेतु गठित समिति की अनुशंषानुसार श्री शर्मा की सेवाओं को दिनांक 07.04.1981 से नियमित मानते हुए किसी भी प्रकार के बकाया का दावा नही करने का बन्ध पत्र भरवाकर लेने की शर्त के साथ नियमितिकरण एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर देय तृतीय चयनित वेतनमान काल्पनिक आधार पर प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1294	**पूल अधिकारी, केन्द्रीय पूल, स्वाकेराकृवि, बीकानेर से प्राप्त कार्यालय टिप्पणी दिनांक 10.06.2016 जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वाहन चालक के पद पर पदोन्नति के संबंध में प्राप्त हुई जिसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पिछले कई वर्षो से वाहनों को चलाने का कार्य वाहन चालक के रूप में कर रहें है। इन सभी कर्मचारियों के पास वाहन चलाने का अधिकृत अनुज्ञा पत्र भी है और विश्वविद्यालय के किसी न किसी अधिकारी द्वारा कार्य करने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ यह सभी कर्मचारी संबंधी वाहन की लॉग बुक में सभी प्रकार के इन्द्राज में अपने हस्ताक्षर भी कर रहें है, जिन्हें अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। जिसको माननीय कुलपति महोदय ने आगामी प्रबन्ध**

	मण्डल में रखने हेतु अनुमोदित किया है। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से वाहन चालक पद पर पदोन्नति के संबंध में विश्वविद्यालय में 10 प्रतिशत पद भरने के प्रावधान को 25 प्रतिशत करने की सहमति प्रदान की जाती है। इसके साथ ही इन पदों पर पदोन्नति के लिए वर्तमान में पूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कार्यालय टिप्पणी में वर्णित वाहन चलाने का अधिकृत अनुज्ञा पत्र धारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचरियों को वाहन चलाने की संबंधित अधिकारी द्वारा अधिकृत तिथि से वरिष्ठतानुसार उस समय वाहन चालक पद पर नियुक्ति हेतु वर्णित योग्यतानुसार पदोन्नति करने की केवल एकबारीय (One time) विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1295	**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 का अनुमोदन करने बाबत्।** यह पारित किया गया कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 का अनुमोदन किया जाता है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1296	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश/अधिसूचनाओं की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेश/अधिसूचनाओं की पुष्टि की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1297	**सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक आचार्य (चयनित ग्रेड़) तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु प्रोफोर्मा एवं स्कोर कार्ड का प्रारूप अनुमोदन बाबत्।** यह पारित किया गया कि सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक आचार्य (चयनित ग्रेड़) तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु प्रोफोर्मा एवं स्कोर कार्ड का प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है।.
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1298	**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अशैक्षणिक नियुक्ति एवं पदौन्नति नियम - 1998 के शिड्यूल-बी में लेखाकार के पद पर पदौन्नति के नियमों में समिति की अनुशषांनुसार संशोधन करने बाबत्।** यह पारित किया गया कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अशैक्षणिक नियुक्ति एवं पदौन्नति नियम - 1998 के शिड्यूल-बी में लेखाकार के पद पर पदौन्नति के नियमों में समिति की अनुशषांनुसार संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1299	**कृषि, गृह विज्ञान एवं कृषि व्यवसाय एवं प्रबंधन संकाय के तहत् सह-आचार्य की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने बाबत्।** यह पारित किया गया कि कृषि, गृह विज्ञान एवं कृषि व्यवसाय एवं प्रबंधन संकाय के तहत् सह-आचार्य की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन करने का अनुमोदन किया जाता है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1300	**वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.08.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि करने बाबत्।** यह पारित किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.08.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1301	**विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2016-17 व संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 एवम् बैलेंस सीट वर्ष 2014-15 की पृष्टि करने बाबत्।** यह पारित किया जाता है कि विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2016-17 व संशोधित अनुमान वर्ष 2015-16 एवम् बैलेंस सीट वर्ष 2014-15 की पृष्टि की जाती है।
स्वाकेराकृवि/बोम—94/ 2016-2/1302	**अन्य प्रकरण माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार किया जायेगा ।** 1. **To consider the case of Shri Ramsharan Agnihotri for regularization on the post of library Assistant in view of judgment dated 22.10.2013 in S.B. Civil writ Petition No. 8339/2008 – Ramsaran Agnihotri V/s RAU, Bikaner and order dated 10.02.2015 in S.B. Civil Contempt Petition No. 138/2014- Ramsaran Agnihotri V/s Dr. Y. Sudarsan.** यह पारित किया जाता है कि श्री रामसरण अग्निहोत्री, पुस्तकालय सहायक स्थिर वेतनभोगी की सेवाओं का उनके कार्य गृहण की तिथि के पाँच वर्ष पश्चात् से काल्पनिक वेतन स्थिरिकरण का लाभ प्रदान कर किसी भी प्रकार के बकाया का दावा नही करने का बन्ध पत्र भरवाकर लेने की शर्त के साथ नियमितिकरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बैठक के अन्त में डॉ० एन०के० शर्मा, अतिरिक्त निदेशक अनुसंधान (पी०एम०ई०), अनुसंधान निदेशालय द्वारा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का विवरण प्रोजेक्टर के माध्यम से माननीय प्रबन्ध मण्डल सदस्यों के समुख प्रस्तुत किया गया।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की धोषणा की गई ।

22/8

(डॉ० इन्द्रजीत गुलाटी)
कुलसचिव
व
सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल

22/8/16

(डॉ० बी०आर० छीपा)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल